

**प्रेस नोट संख्या-36**

**दिनांक 29.12.2025**

**सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस**

**“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा 40 ग्राम स्मैक के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.12.2025 को थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान अभियुक्त नोमान उल्ला उर्फ अच्छय पुत्र स्व0 अता उल्ला निवासी हाल पता पिपरी थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर स्थाई पता ग्राम पूरे मंसूर मजरे मोहम्मद नेवाज थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया ।

तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 40 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

- नोमान उल्ला उर्फ अच्छय पुत्र स्व0 अता उल्ला हालपता पिपरी थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर निवासी ग्राम पूरे मंसूर मजरे मोहम्मद नेवाज थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी उम्र करीब 42 वर्ष ।

**बरामदगी**

- कुल 40 ग्राम स्मैक ।

**पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

- मु0अ0सं0 324/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम –**

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
3. हे0का0 मो0 जावेद थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
4. हे0का0 गगन शुक्ला थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
5. का0 किशन सिंह चौहान थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 229/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 14/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
3. मु0अ0सं0 112/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
4. मु0अ0सं0 237/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
5. मु0अ0सं0 281/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
6. मु0अ0सं0 261/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।